न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १२०१२ पुनराविलोकन (रिव्यु)

रिव्यू 1777-II/12

राचित गर्ग पुत्र श्री गोपाल प्रसाद गर्ग,
निवासी मोहल्ला बोदागंज, तेहसील हुजुर,
तेहसील व जिला रीवां, म०प्र० ।

------- प्रार्थी

श्री कृष्ण कं० अवस्थी, अधि० द्वारा आज दि. 19-6-12 को प्रस्तुत
19-6-12
रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4.30 P.M

विरुध्द

१- श्री राजेश मिश्र पुत्र श्री प्रदुम्नप्रसाद मिश्र,
निवासी ग्राम बरेही, थाना रामपुर,
तेहसील रायपुर, जिला रीवां, म०प्र०,
हाल मुकाम उरहट, आबाद नगर रीवां,
तेहसील हुजुर, जिला रीवां (म०प्र०) ।

२- गोपाल प्रसाद गर्ग पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद गर्ग,

३- श्रीमती निर्मला गर्ग पत्नी श्री गोपालप्रसाद-गर्ग,

४- अमित कुमार गर्ग पुत्र श्री गोपालप्रसाद गर्ग,
सभी निवासीगण फोर्ट रोड, रीवां (सेन्ट्रल बैंक के सामने) हसील हुजूर, जिला रीवां म०प्र० ।

५- श्रीमती केतकी बाई पत्नी श्री सुरेन्द्रप्रसाद दुबे निवासी सुरेटी, अंगूरी बिल्डिंग के पास, तेहसील हुजूर, जिला रीवां म०प्र० ।

६- श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व० श्री रामगणप्रसाद एडवोकेट, निवासिन अमहिता, तेहसील व जिला रीवां, म०प्र० तेहसील हुजूर, जिलारीवां ।

७- मध्यप्रदेश शासन ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

क्रमशः--२

माननीय न्यायालय के आदेश दि. 9-4-93 के पालन में नाम विलोपित। 9/6/92

वारिसान
1- संतोष कुमार
2- अशोक कुमार
3- श्रीमती ...
4- ...
तहसील हुजूर जिला रीवा मध्यप्रदेश

माननीय न्यायालय के आदेश दि. 9-4-93 के पालन में संशोधन किया। 5/6/93

पुनराविलोकन आवेदन पत्र विरुध्द आदेश माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, (श्री एम०के० सिंह) दिनांक ६-३-१२, अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९,प्र०क्र०९०५।तीन।९० निगरानी ।

श्रीमान् जी ,

पुनराविलोकन (रिव्यू) आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय की आज्ञा अभिलेख पर प्रत्यक्षदर्शी मूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र में जो आपत्तियां की गई हैं, सहवन उन पर विचार किये बिना आदेश देने में भूल की है । यह भूल ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

३- यह कि, कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी की प्रचलनशीलता प्रारम्भिक न्यायालय में प्रकरण के प्रचलनशीलता की स्पष्ट आपत्ति निगरानी मेमों के पद क्रमांक ३ एंव ४ में स्पष्ट रूप से की गई है, किन्तु सहवन इस पर विचार ही नहीं हुआ है । यह पुनराविलोकन स्वीकार किये जाने का सबल आधार है ।

४- यह कि, कीवानी हिक्री के संबंध में स्पष्ट आपत्ति निगरानी मेमों के पद ५ एंव ६ में की गई है,किन्तु इस आपत्तिपर विचार नहीं किया गया है ।

५- यह कि, निगरानी मेमों के पद-७ की वैधानिक एंव तथ्यात्मक आपत्ति पर भी विचार नहीं किया गया है ।

६- यह कि, प्रारम्भिक न्यायालय की प्रक्रियात्मक आपत्ति निगरानी मेमों के पद ८ व ९ में की गई है । इस स्पष्ट आपत्ति पर विचार नहीं किया गया है । यह भूल भी ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

क्रमशः--३

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1777–दो/2012 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 की ओर से अभिभाषक श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवश्यक पक्षकार श्री गंगाप्रसाद स्वयं अपने अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 905–तीन/2009 में पारित आदेश दिनांक 06–03–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा न्यायालय राजस्व मंडल के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायालय तहसीलदार 1/4 हिस्से पर अनावेदक राजेश मिश्रा का नाम अंकित करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी में एक सप्ताह स्थगन देते हुये आवेदक को व्यवहार न्यायालय से स्थगन लेकर प्रस्तुत करने का	

निर्देश दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ने पुनरीक्षण स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर यह निर्देश दिये कि व्यवहार न्यायालय से स्थंगन प्राप्त नहीं होता है तो जयपत्र के आधार पर बटवारे की कार्यवाही की जाये। इस आदेश के विरूद्ध निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गई।

5/ इस प्रकरण में सुनवाई दिनांक 03.01.12 को उभयपक्षों को 15 दिवस में लिखित बहस पेश करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश नहीं की गई । इसी आधार पर न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर उक्त प्रकरण का निराकरण किया गया। अपर आयुक्त के आदेश का अध्ययन किया । अध्ययन करने के उपरांत विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दीवानी न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में नामांतरण की कार्यवाही विधिवत पूर्ण की गई और विचारण न्यायालय का आदेश अंतिम स्वरूप का नहीं है इस कारण उन्होंने अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी को अक्षम मानते हुये यह माना है कि उनके समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण विचारार्थ ग्रहण करने योग्य ही नहीं था। उक्त आधार पर उन्होंने अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ किया है कि यदि सक्षम दीवानी न्यायालय से स्थंगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ हो तो जयपत्र के अनुसार खाता विभाजन की कार्यवाही की है। अपर आयुक्त के इस आदेश मे कोई भी अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है और उनका

आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप है। जहां तक आपत्तिकर्ता गंगाप्रसाद साकैत के उन्हें पक्षकार बनाये जाने है, संबंधी पक्षकार आपत्ति तथा उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों पर विचार का प्रश्न है। उसको पक्षकार बनाये जाने हेतु संबंधी आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2011 को अनुपस्थित में निरस्त किया गया । इस कारण उसके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया जाना संभव नहीं है। वह अपनी आपत्ति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। इसी स्तर पर न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा जो आदेश पारित किया है, वह उचित है। मेरे मतानुसार न्यायालय राजस्व मंडल, ग्वालियर द्वारा जो आदेश पारित किया है, स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–03–2012 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य